

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक-19/ दो-12-05/2021 (फा.228)

उज्जैन, दिनांक 07 जनवरी 2022

वर्तमान में कोरोना-19 महामारी के नए वेरिएंट ओमीक्रान के अत्यधिक तीव्रता से फैलने के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट रेट/आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों वाहन-चालक/भृत्य/चौकीदार/जलवाहक/माली/स्वीपर की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक-217/ दो-12-05/2021 (फा.228)  
प्रतिलिपि-

उज्जैन, दिनांक 07 जनवरी 2022

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 16.01.2022 तक साक्षात्कार हेतु शेष रहे अभ्यर्थियों को एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलंब देंगे।
3. सर्वसंबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि उक्त आदेश उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. जनसंपर्क अधिकारी, उज्जैन को इस निर्देश के साथ आदेश की प्रति प्रेषित हैं कि साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना प्रकाशित करवाये जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

उज्जैन(म.प्र.)